

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर 2015—कार्तिक 28, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2015

क्र. बी-11-03-2015-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक-बी-11-03-2015-चौदह-2, दिनांक 3 सितम्बर 2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ 2015 हेतु पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की गई थी, जारी अधिसूचना में जिला उज्जैन की नागदा के रा. नि. म. उन्हेल 23 से 67 प. ह. नं. 36 से 73 तक में अधिसूचित की गई थी. अब उनके स्थान पर तहसील बड़नगर रा. नि. म. क्र. 2 बलेडी प. ह. नं. 36 से 73 तक सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है. मौसम खरीफ वर्ष 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.